



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 30.06.2024

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और कार्यवाही।
- थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध में वांछित इनामिया (25000/- रु0) 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 451/18 धारा 366/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)ध SC/ST ACT में वांछित/पुरस्कार घोषित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 23.04.2018 को थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 451/18 धारा 366/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)ध SC/ST ACT बनाम 1.शाहरुख पुत्र मकसूद अली निवासी पातेपुर भोगनीपुर कानपुर देहात 2. मकसूद अली पुत्र अज्ञात निवासी पातेपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। दौराने विवेचना पीडिता की बरामदगी व धारा 161 व 164 सीआरपीसी के बयानों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.06.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामजद इनामिया (25000/-रु0) /वांछित अभियुक्त शाहरुख पुत्र मकसूद अली निवासी पातेपुर अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 27 वर्ष, जो 6 साल से फरार चल रहा था को भोगनीपुर चौराहा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. शाहरुख पुत्र मकसूद अली निवासी पातेपुर अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 27 वर्ष।

अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 451/18 धारा 366/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)ध SC/ST ACT थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,
2. मु0अ0सं0 315/2019 धारा 174A IPC थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अंजन कुमार सिंह
2. उ0नि0 शोभित कटियार
3. हे0कां0 विनोद कुमार पटेल
4. कां0 654 विनय सिसौदिया
5. कां0 246 शैलेन्द्र चौधरी